झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

1291
11/5/11

अधिसूचना

राँची, झारखण्ड, ... 11. मई, 2011

स0.को0/2010 – झारखण्ड के राज्यपाल, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के अधीन भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ–**

(1) यह नियमावली **झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011** कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा

(3) यह राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

भाग 1–प्रारंभिक

2. **परिभाषाऐं–**

(1) इन नियमों में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध नहीं हो,–

(क) **"अधिनियम"** से तात्पर्य है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) ;

(ख) **"नियमावली"** से तात्पर्य है झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 ;

(ग) **"आंगनबाड़ी"** से तात्पर्य है भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा राज्य में महिला और बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्र ;

(घ) **"नियत तारीख"** से तात्पर्य है वह तारीख जिस तिथि से अधिनियम लागू किया गया है;

(ङ) **"राज्य सरकार"** से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार ;

(च) **"जिला शिक्षा अधीक्षक"** से तात्पर्य है झारखण्ड राज्य के किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी ;

(छ) **"बच्चे"** से तात्पर्य हैं 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे ;

(ज) **"छात्र–शिक्षक अभिलेख"** से तात्पर्य है व्यापक एंव सतत् मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया छात्र की प्रगति का अभिलेख ;

(झ) **"विद्यालय योजना निर्माण"** से तात्पर्य है सामाजिक अवरोधों और भौगोलिक अंतर को कम करने के लिये अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिय विद्यालय स्थान की योजना बनाना ;

(ञ) **"विभाग"** से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार का मानव संसाधन विकास विभाग।

(2) इस नियमावली में "प्रपत्र" का कोई भी संदर्भ इस नियमावली के परिशिष्ट में दिये गये प्रपत्र(त्रों) को इंगित करेगा।

(3) ऐसे शब्द इस नियमावली में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है।

भाग 2–विद्यालय प्रबंध समिति

3. विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कार्य –

(1) गैर–सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर शेष सभी विद्यालयों में अधिनियम लागू होने के 6 मास के भीतर विद्यालय प्रबंध समिति (जिसे इस नियम में इसके पश्चात उक्त समिति कहा गया है) का गठन किया जायेगा एवं इसका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर समिति का पुर्नगठन किया जायेगा।

(2) उक्त समिति में सदस्यों की संख्या 16 होगी जिसमें पचहत्तर प्रतिशत यथाः 12 सदस्य संबंधित विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों के माता–पिताओं या अभिभावकों में से होंगे।

(3) उक्त समिति की सदस्य संख्या का शेष पच्चीस प्रतिशत यथाः 4 निम्नवत् होंगे –

(क) स्थानीय प्राधिकार के एक निर्वाचित सदस्य;

(ख) विद्यालय का एक शिक्षक, जिसका चयन विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया जायेगा;

(ग) विद्यालय की बाल संसद के एक प्रतिनिधि;

(घ) विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक।

(4) उक्त समिति, माता–पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन करेगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/वरिष्ठतम शिक्षक प्रबंध समिति के पदेन सदस्य संयोजक होंगे।

(5) उक्त समिति की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होगी। बैठकों की कार्यवाही उक्त समिति के सदस्य संयोजक द्वारा विधिवत संधारित की जायेगी। कार्यवाही पंजी आम जनता के अवलोकन हेतु विद्यालय में उपलब्ध रहेगी।

(6) उक्त समिति, अधिनियम में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त निम्न् कार्यों का निर्वहन करेगी –

(क) अधिनियम में उल्लेखित बालक के अधिकारों एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार, विद्यालय, माता–पिता तथा अभिभावकों के कर्तव्यों के संबंध में विद्यालय के आसपास की जनता को सरल ढंग से बतायेगी ;

(ख) अधिनियम की धारा 24 के खंड (क) और खंड (ङ) तथा धारा 28 का अनुपालन करेगी ;

(ग) शिक्षकों पर गैर–शैक्षणिक कर्त्तव्यों का भार नहीं डाला जाये, इस हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी;

(घ) विद्यालय में आसपास के सभी बालकों का नामांकन और नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करेगी ;

(ङ) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप माता–पिता को विद्यालय में बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी ;

(च) बालक के अधिकारों में किसी प्रकार का हनन होने पर, समिति इसको स्थानीय प्राधिकार की जानकारी में लायेगी ;

(छ) विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाने, योजना तैयार करने तथा अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के लागू करने हेतु अनुश्रवण करने का कार्य करेगी ;

(ज) निःशक्तताग्रस्त बालकों की पहचान कर, उनका नामांकन करवाने तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं का अनुश्रवण करने और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाने का कार्य सुनिश्चित करेगी ;

(झ) विद्यालयों में मध्याहन् भोजन योजना का समुचित रूप से कार्यान्वयन करवायेगी एवं योजना के सभी पहलुओं का अनुश्रवण करेगी ;

(ञ) विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करेगी।

(7) ऐसी प्रत्येक उक्त समिति का एक बैंक खाता होगा एवं समिति द्वारा प्राप्त किसी भी धनराशि को इस खाते में रखा जायेगा एवं इसका वार्षिक रूप से अंकेक्षण किया जायेगा।

(8) विद्यालय से संबंधित लेखाओं को उक्त समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और उनके तैयार किये जाने के एक मास के भीतर स्थानीय प्राधिकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. विद्यालय विकास योजना तैयार करना–

(1) विद्यालय प्रबंध समिति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है, अंत से कम से कम तीन मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक उपयोजनायें होंगी।

(3) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्योरे होंगे –

(क) प्रत्येक वर्ष के लिये कक्षा–वार नामांकन का आकलन ;

(ख) अधिनियम एवं नियम के अनुसार, कक्षा 1 से कक्षा 5 और कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिये अलग से अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अंतर्गत प्रधान अध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अनुदेशक भी हैं, की संख्या की आवश्यकता का विवरण ;

(ग) अधिनियम एवं नियम के अनुसार, अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता का विवरण;

(घ) अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये कोई अन्य अतिरिक्त आवश्यकता।

(ङ) उपरोक्त के आलोक में विद्यालय की वित्तीय आवश्यकता ;

(4) विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उसे तैयार किया जाता है, अंत से पूर्व स्थानीय प्राधिकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

भाग 3–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा

5. विशेष प्रशिक्षण–

(1) प्रत्येक विद्यालय की विद्यालय प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता रखने वाले बालकों की पहचान करेगी और ऐसे बच्चों के लिये निम्नलिखित रूप से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी –

(क) अधिनियम की धारा 29 के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी ;

(ख) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय के परिसरों में लगाई गई कक्षाओं में या सुरक्षित आवासीय कक्षाओं में आयोजित किया जायेगा ;

(ग) उक्त प्रशिक्षण विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा या इस हेतु विशेष रूप से नियुक्त शिक्षकों द्वारा दिया जायेगा;

(घ) उक्त प्रशिक्षण की अवधि तीन मास की न्यूनतम अवधि के लिये होगी जिसे परिस्थिति विशेष में दो वर्ष तक की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) वर्ग में अन्य बच्चों के साथ समन्वय हेतु विद्यालय में प्रवेश हो जाने के बाद भी ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

भाग 4– राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

6. आसपास का क्षेत्र या सीमाएं–

(1) निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित् सीमा के अन्तर्गत विद्यालय स्थापित किया जायेगा–

(क) कक्षा 1 से कक्षा 5 के बच्चों के लिए एक किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर ;

(ख) कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए दो किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर ;

(2) भौगोलिक दृष्टिकोण से कठिन क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, आवगमन के दृष्टिकोण से कठिन क्षेत्र, या विद्यालय आने–जाने के मार्ग के असुरक्षित होने जैसे मामलों में दूरी की सीमा को शिथिल करते हुये विद्यालय स्थापित किया जायेगा।

(3) जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति आवश्यकतानुसार वर्ग 1 से 5 के विद्यालय में वर्ग 6 से 8 तथा ऐसे विद्यालय जहाँ वर्ग 6 से कक्षाऐं प्राप्त होती है उनमें वर्ग 1 से 5 या ऐसे विद्यालय जहां वर्ग 1 से 7 की पढ़ाई होती है वहां वर्ग 8 जोड़ सकेगी।

(4) सघन आबादी वाले क्षेत्रों के पोषक क्षेत्र के लिये आवश्यकतानुसार एक से अधिक विद्यालय की स्थापना की जा सकेगी।

(5) स्थानीय प्राधिकार आसपास के ऐसे विद्यालय/विद्यालयों का पता लगायेगा, जहां बालकों को प्रवेश दिया जा सकता है, और प्रत्येक क्षेत्र के लिये ऐसी सूचना आम जनता को उपलब्ध करवायेगा।

(6) निःशक्तता से ग्रस्त बालकों को विद्यालय में उपस्थित होने और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

(7) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि बालकों की विद्यालय तक पहुंच सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से बाधित न हो।

7. राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार के उत्तरदायित्व–

(1) अधिनियम की धाराओं के अनुरूप विद्यालय में उपस्थित होने वाला कोई बालक, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के प्रावधान के अनुसार निःशुल्क शिक्षा के लिये हकदार होगा;

परन्तु निःशक्तता से ग्रस्त कोई बालक निःशुल्क विशेष शिक्षा और सहायक सामग्री के लिये भी हकदार होगा।